उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-25/2016/180(2)/अड़तीस-9-16-500(11)/14
लखनऊ : दिनांक-06 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम व पोस्ट- राजामऊ, बछरावॉ, रायबरेली ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को दिनांक-12.03.2014 को शिकायती पत्र देते हुए मुख्य रूप से यह शिकायत किया था कि उत्कर्ष शिक्षा समिति बछरावां, रायबरेली की प्रबन्धक द्वारा गाटा संख्या-4208 की खतौनी लगाकर गाटा संख्या-232 पर पूर्व में बने विद्यालय को दिखाकर 'विधायक निधि' एवं 'सांसद निधि' की धनराशि हड़प ली गई है। इस घोटाले की जॉच की जाए एवं धनराशि ब्याज सहित सरकारी खजाने में जमा किया जाय।

2- शासन द्वारा पत्र में अंकित इस प्रकरण की जॉच मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली से कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली की जॉच आख्या क्रमशः दिनांक-28.06.2014 एवं 29.04.2015 को शासन को प्राप्त हुई। उक्त जॉच आख्या में सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली की दिनांक-03.10.2013 की रिपोर्ट के आधार पर यह उल्लेख किया गया था कि प्रबन्धक श्रीमती आशा अवस्थी को समस्त निर्माण कार्य गाटा संख्या-4208 पर करना चाहिए था, किन्तु मौके पर समस्त निर्माण कार्य गाटा संख्या-232 पर पाया गया एवं गाटा संख्या-4208 बिल्कुल खाली है।

3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुये शासनादेश संख्या-777/अड़तीस-9-2014-500(11)/2014, दिनांक-03.02.2015 एवं आदेश संख्या-425/अड़तीस-9-2015-500(11)/2014, दिनांक-21.08.2015 द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को संस्था से वसूली करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्कर्ष शिक्षा समिति की प्रबन्धक द्वारा शासन को दिनांक-30.09.2015 एवं 17.03.2016 को प्रत्यावेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत करते हुये प्रकरण के बारे में नवीन तथ्य बताए गए तथा अपने पत्र दिनांक-17.03.2016 द्वारा शासन से यह अनुरोध किया गया है कि शासन अपने वसूली विषयक आदेश दिनांक-21.08.2015 पर पुनर्विचार करने की कृपा करें तथा पुनर्विचार सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारित/निर्णय होने तक वसूली सम्बन्धी आदेशों को स्थगित करने की कृपा करें।

4- संस्था के प्रबन्धक के अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग के निम्न अधिकारियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

(1)- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ - अध्यक्ष।
(2)- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली - सदस्य।
(3)- उपायुक्त (विधि), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 - सदस्य।
(श्री जगदीश त्रिपाठी)

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त समिति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली की सम्बन्धित पत्रावली, उसमें अंकित टिप्पणी आदि का अध्ययन करने के साथ ही विद्यालय का भौतिक निरीक्षण कर एवं जॉच कर अपनी स्पष्ट संस्तुति विलम्बतम एक माह में शासन को प्रस्तुत करेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-25/2016/180(3) /अडतीस-9-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
4- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली।
6- उपायुक्त (विधि), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, (श्री जगदीश त्रिपाठी)
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।